



|                                   |   |  |
|-----------------------------------|---|--|
| <p>तारीख हुक्म<br/>200 / 2022</p> | <p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>   | <p>नम्बर व तारीख<br/>अहकाम जो<br/>इस हुक्म की<br/>तामील में जारी<br/>हुए</p> |
| <p>28.04.2023</p>                 | <p>पत्रावली आज दिनांक को प्रशासन गांव के संग अभियान 2023 केम्प के तहत केम्प कोर्ट राक्षी पर पेश हुई। प्रकरण को अवलोकन किया गया। अवलोकन से प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके पक्ष में प्रार्थी द्वारा ग्राम बैसकलाई पटवार हल्का राक्षी भूअ.नि. सरदारनगर तहसील बनेड़ा की जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 तक की संलग्न की गयी है। प्रकरण मूल रूप से पत्थरगढी/सीमांकन से संबंधित होने से किसी अन्य खातेदारान/पड़ोसियान के हक अधिकार प्रभावित नहीं होते है न ही किसी प्रकार के हक अधिकार निर्धारित किये जाते है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी बाबत वर्णित तथ्यों से मेरा समाधान हो जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूं। जमाबंदी में स्थित आराजी खसरा सं. 110, 111, 677, 678, 679, 680 कुल कित्ता 06 रकबा 3.5283 है0 भूमि दर्ज रेकार्ड होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है। निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली करवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;"> <br/> भू अभिलेख अधिकारी एवं<br/> पदेन उपखण्ड अधिकारी<br/> बनेड़ा-भीलवाड़ा </p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  </div> |  |

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023  
न्यायालय भू अभिलेख अधिकारी एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा  
पीठारसीन अधिकारी निरमा बिश्नोई आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर - 200/2022 राजस्व प्रार्थना पत्र

उनवान

- 1- ईदी पत्नि याद अहमद मुल्तानी निवासी खातनखेड़ी तहसील बनेड़ा।
- 2-6 बरकत, मसीद, रसीद, सलीम, हमीदा पिता याद अहमद मुल्तानी निवासी खातनखेड़ी तहसील बनेड़ा।

-प्रार्थी

बनाम

- 1- शरीफ पिता साबु खां मुसलमान निवासी खातनखेड़ी तहसील बनेड़ा।
- 2-4 साबिर, निजाम, नसरु पिता सुबराती खां मुसलमान निवासी खातनखेड़ी तहसील बनेड़ा।
- 5- सुबान पिता जन्नु खां मुसलमान निवासी खातनखेड़ी तहसील बनेड़ा।
- 6- कम्मू पिता गेन्दु खां मुसलमान निवासी खातनखेड़ी तहसील बनेड़ा।
- 7- नवाब पिता सुबराती खां मुसलमान निवासी खातनखेड़ी तहसील बनेड़ा।
- 8- जाकिर पिता साबु खां मुसलमान निवासी खातनखेड़ी तहसील बनेड़ा।
- 9- तहसीलदार बनेड़ा।

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

अधिवक्ता प्रार्थी:- इकबाल मो0 छीपा

निर्णय

दिनांक :- 28/04/2023

प्रार्थी की और से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज०भू०राज० अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम बैसकलाई पटवार हल्का राक्षी भूअ.नि. सरदारनगर तहसील बनेड़ा में स्थित आराजी खसरा सं. 110, 111, 677, 678, 679, 680 कुल किता 06 रकबा 3.5283 है0 के खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त आराजियात की भूमि के विपक्षीगण पडौसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहते हैं। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबंदी का अवलोकन किया गया। ग्राम बैसकलाई पटवार हल्का राक्षी भूअ.नि. सरदारनगर तहसील बनेड़ा में स्थित आराजी खसरा सं. 110, 111, 677, 678, 679, 680 कुल किता 06 रकबा 3.5283 है0 भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज होकर है। प्रार्थी अपने खाते की उचित कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने के अधिकारी है। इस आदेश

जाय

से किसी भी पक्षकार का राजस्व अभिलेख में किसी प्रकार का हक व अधिकार तय नहीं होते हैं तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ।

### // आदेश //

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र धारा 111-128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 सार्वजनिक होने एवं प्रार्थीगण वाद ग्रस्त आराजी के अभिलिखित खातेदार होने से आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर मौजा बनेड़ा तहसील बनेड़ा में स्थित प्रार्थीगण की आराजी खसरा सं. 110, 111, 677, 678, 679, 680 कुल किता 06 रकबा 3.5283 है० एवं इससे लगती अप्रार्थीगण की आराजीयाज के मध्य सीमा-रेखा की स्पष्ट जानकारी के लिए नियमानुसार सीमांकन की कार्यवाही करते हुए सीमा चिह्न रोपित करवाए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। सम्बंधित भू अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी उक्त आराजीयात के खातेदारान को विधिवत नोटिस तामिल करवाकर उन्हें मौके पर उपस्थित रहने बाबत पाबंद करें एवं सभी सम्बंधित खातेदारान को से लिखित में सहमती प्राप्त कर उनकी उपस्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111 में विहित प्रक्रिया की अनुपालना करते हुए मुताबिक भू-नक्शा शीट के आधार पर मौके पर सीमांकन की कार्यवाही करवाते हुए प्रार्थीगण के खर्चे से प्रार्थीगण की आराजी खसरा सं. 110, 111, 677, 678, 679, 680 कुल किता 06 रकबा 3.5283 है० एवं इससे लगती अप्रार्थीगण की आराजीयात की सीमा के मध्य सीमा-चिन्ह रोपित करावें, यदि प्रार्थीगण का उपर्युक्त आराजी पर कब्जा काश्त नहीं हो या किसी न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावशील हो तो उपर्युक्त कार्यवाही नहीं की जावें, उपर्युक्त आदेश के आधार पर भू अभिलेख में किसी प्रकार का फेरबदल नहीं किया जावें, आदेश की पालना अपील की मियाद गुजरने के पश्चात की जावे, तहसीलदार बनेड़ा को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी मुताबिक फैंसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 28.04.2023 को केम्प कोर्ट मुख्यालय राक्षी में मजमें आम में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

जावे  
(निरमा बिश्नोई)  
भू अभिलेख अधिकारी एवं  
पदेन उपखण्ड अधिकारी  
बनेड़ा-भीलवाड़ा